



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- pccf-development@gov.in, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / यो0ब0-10/2019-673 दिनांक : 17/7/19

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, राँची/जमशेदपुर/
वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमंडल/चाईबासा वन
प्रमंडल/कोल्हान वन प्रमंडल/पोड़ाहाट वन प्रमंडल/सरायकेला वन
प्रमंडल/गुमला वन प्रमंडल/खूंटी वन प्रमंडल/लोहरदगा/उप वन संरक्षक
एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन सीमा का सुदृढ़ीकरण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचलों को सर्वेक्षण कार्य हेतु उपस्कर आदि, वन सीमा स्तम्भों का डी0जी0पी0एस0 सर्वे एवं वन सीमा स्तम्भों के निर्माण कार्य हेतु रु0 863.139 (आठ करोड़ तिरसठ लाख तेरह हजार नौ सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-23/2019-10/स्वी0 व0प0 दिनांक 18.06.2019 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-23/2019-60/आ0 व0प0 दिनांक 28.06.2019।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-48 वन सीमा का सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल रु0 863.139 (आठ करोड़ तिरसठ लाख तेरह हजार नौ सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796480103	299.996
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796480323	449.994
सर्वेक्षण	19S240601796480382	113.149
कुल :-		863.139

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के अनुलग्नक-1 से 3 पर वर्णित वन संरक्षक/वन प्रमंडल पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि

की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी एवं अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने कार्यालय के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे तथा ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। सीमा स्तम्भ निर्माण संबंधी प्राक्कलन अनुलग्नक-4 तथा ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-5 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या—19S240601796480103, 19S240601796480323 एवं 19S240601796480382 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।


4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय—समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जाएगी। सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

7. योजना में वन सीमा स्तम्भों का निर्माण संलग्न तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन के अनुरूप किया जाएगा।

8. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक लक्ष्य में स्वीकृत राशि से अधिक निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जाएग।



9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो। अगर वित्तीय लक्ष्य से ज्यादा देनदारियाँ सृजित की जाती हैं, तो उन दावों के सृजन के लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।

10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प सं0 940 दिनांक 16.03.2016 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

15. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

16. वन सीमा स्तम्भों के डी0जी0पी0एस0 सर्वे कार्य हेतु वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल को राशि उपलब्ध कराई जा रही है। वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल डी0जी0पी0एस0 सर्वे द्वारा स्थलों को चिन्हित करेंगे, तदुपरान्त सीमा स्तम्भ का निर्माण कराया जाएगा एवं निर्मित किए गए सीमा स्तम्भों की स्थल सूची इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0—10 / 2019—673 दिनांक—17/7/19

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर/राँची/मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर/चाईबासा/राँची/गुमला/एनविस सेंटर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0—10 / 2019—673 दिनांक—17/7/19

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/जमशेदपुर/चाईबासा/सरायकेला/गुमला/खूंटी/लोहरदगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली “वन सीमा स्तम्भों का सुदृढ़ीकरण” योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचलों को सर्वेक्षण कार्य हेतु उपस्कर आदि के लिए उप-आवंटित वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	निकासी एवं व्यय पदाधिकारी का नाम	प्राक्कलित राशि	वित्तीय लक्ष्य	
			सर्वेक्षण	कुल
i	ii	iii	iv	v
1	वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, जमशेदपुर	42.881	42.881	42.881
4		42.881	42.881	42.881

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, रॉची।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली “वन सीमा स्तम्भों का सुदृढ़ीकरण” योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत वन सीमा स्तम्भों के डी0जी0पी0एस0 सर्वे कार्य का उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	निकासी एवं व्यय पदाधिकारी का नाम	भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	प्राक्कलित राशि	सर्वेक्षण
i	ii	iii	iv	v
1	वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, राँची	18000	43.292	43.292
2	वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, जमशेदपुर	15500	26.976	26.976
4		33500	70.268	70.268

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन सीमा स्तम्भों का सुदृढीकरण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत वन सीमा स्तम्भों के निर्माण कार्य का उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (प्रति पीलर @4047 रु0)

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	निकासी एवं व्यय पदाधिकारी का नाम	भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	प्राक्कलित राशि	वित्तीय लक्ष्य		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iv	v	vi	vii	viii
1	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	3000	121.410	48.564	72.846	121.410
2	चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा	2330	94.295	37.718	56.577	94.295
3	कोल्हान वन प्रमंडल, चाईबासा	1500	60.705	24.282	36.423	60.705
4	पोड़ाहाट वन प्रमंडल, चाईबासा	794	32.133	12.853	19.280	32.133
5	सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला	2000	80.940	32.376	48.564	80.940
6	गुमला वन प्रमंडल, गुमला	3000	121.410	48.564	72.846	121.410
7	खूंटी वन प्रमंडल, खूंटी	2000	80.940	32.376	48.564	80.940
8	लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा	3000	121.410	48.564	72.846	121.410
9	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर	908	36.747	14.699	22.048	36.747
योग :-		18532	749.990	299.996	449.994	749.990

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

313-4
XS
13

MODEL ESTIMATE FOR R.C.C PILLAR FOR FOREST DEPARTMENT JHARKHAND
AS PER SCHEDULE RATE OF BUILDING CONSTRUCTION DIVISION JHARKHAND 1ST JULY 2018

S No	Item No	Description	No MTR	L MTR	B MTR	H m3	Quantity	Unit (Rs)	Rate (Rs)	Amount
I	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi
1	5.1.10	Providing coarse clean sand in filling in foundation trenches or in plinth including ramming and watering in layers not exceeding 150mm thick with all leads and lifts including cost of all materials, labour, royalty and taxes all complete as per building specification and direction of E/I. (Mode of measurement compacted volume)								
			1	0.60	0.60	0.075	0.027	M3	223.35	6.03
2	5.6.1	Providing designation 75A one brick flat soiling joints filled with local sand including cost of watering taxes royalty all complete as per building specification and direction of E/I.								
			1	0.60	0.60		0.36	M2	238.38	85.82
3	5.3.5.1	Providing R.C.C.M-200 in nominal mix of (1:1:5:3) in foundation with approved quality of stone chips 20mm to 6mm size graded and clean coarse sand of F.M.2.5 to 3 including screening, shuttering, mixing cement concrete in mixer and placing in position, vibrating, striking, curing (but excluding the cost of reinforcement, taxes and royalty all complete as per building specification and direction of E/I.								
				0.60	0.60	0.15	0.0540	m3	5829.00	314.77
4	5.3.14	Providing R.C.C.M-200 with nominal mix of (1:1 1/2:3) in columns with approved quality of stone chips 20mm to 6mm size graded and clean coarse sand of F.M.2.5 to 3 including screening, shuttering, mixing cement concrete in mixer and placing in position, vibrating, striking, curing (but excluding the cost of reinforcement, taxes and royalty all complete as per building specification and direction of E/I.								
				0.196	m2	1.00	0.1960	m3	6972.73	1366.66

Carriage of material								
a	sand20 km			0.155	m3	498.34	77.21	
b	stone chips22km			0.215	m3	498.34	107.14	
C	brick 1K +7Pkm			0.0116	nos	828.28	9.63	
d	cement (10M			0.0755	M3	222.30	16.79	
e	steel (10km)			0.0186	M.T	222.30	4.14	
						B	214.92	
						A+B	3887.78	

Less 9.1% contractor's profit excl. It .no ,9,10

		-310.58
	C	3577.19
	Add 12% GST of (C)	429.26
	D	4006.46
	Add 1.00% of Labour cess OF D	40.06
	TOTAL	4046.52
	SAY	4047.00 ✓

ounter Signed By


Divisional Forest Officer,
Ranchi Forest Division, Ranchi

Checked By


A.C.F

Summited By


R.F.O.

Prepared BY

Architect Group
Harihar Singh Ro
Ranchi

Technically Sanctioned on amount - Rs.
Rs. 4047.00 (Four thousand & forty
Seven only)
Bir Singh
07.05.19

कार्यपालक अभियंता (मूल्यांकन)
पेय जल एवं स्वच्छता विभाग
झारखण्ड, राँची



झारखण्ड सरकार

आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निर्मानित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-10/2019/673

दिनांक -

17-Jul-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796480103	42647	JSRFOR051	4,856,400.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S)	रुपये अडतालीस लाख छप्पन हजार
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		D.F.O.JAMSHEDPUR	चार सौ
	48 - वन सीमा का सुदीर्घीकरण		PRM.JSR.	
	01 - वेतन एवं भने			
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme : CONSOLIDATION OF FOREST BOUNDARIES(0977)			
	Central Scheme : NA			
2	S 19 240601796480103	42650	SGHFOR010	3,771,800.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SATYAM KUMAR (I.F.S.)	रुपये सैतीस लाख इकहत्तर हजार
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		DFO.CHAIBASA	आठ सौ
	48 - वन सीमा का सुदीर्घीकरण		FOREST DIV.	
	01 - वेतन एवं भने			
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme : CONSOLIDATION OF FOREST BOUNDARIES(0977)			
	Central Scheme : NA			
3	S 19 240601796480103	42653	SGHFOR002	2,428,200.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SRI ABHISHEK BHUSHAN (IFS)	रुपये चौहास लाख अठाइस हजार दो सौ
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		D.F.O.KOLHAN	
	48 - वन सीमा का सुदीर्घीकरण		FOREST DIV.CBSA	
	01 - वेतन एवं भने			
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme : CONSOLIDATION OF FOREST BOUNDARIES(0977)			
	Central Scheme : NA			
				11,056,400.00

योगः

क्रमिक योगः

रुपये एक करोड दस लाख छप्पन हजार चार सौ

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601796480103	42656	SGHFOR003	1,285,300.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - वन सीमा का सुदृढीकरण 01 - वेतन एवं भने 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : CONSOLIDATION OF FOREST BOUNDARIES(0977) Central Scheme : NA		SRI.SHIV KUMAR PRASAD D.F.O.PORAHAT FOREST DIV. रुपये बारह लाख पिचयासी हजार सौ	
5	S 19 240601796480103	42657	SKLFOR001	3,237,600.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - वन सीमा का सुदृढीकरण 01 - वेतन एवं भने 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : CONSOLIDATION OF FOREST BOUNDARIES(0977) Central Scheme : NA		ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN रुपये बल्लीस लाख सैतीस हजार छ: सौ	
6	S 19 240601796480103	42659	GMLFOR001	4,856,400.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - वन सीमा का सुदृढीकरण 01 - वेतन एवं भने 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : CONSOLIDATION OF FOREST BOUNDARIES(0977) Central Scheme : NA		SRIKANT D.F.O. GUMLA रुपये अडतालीस लाख छप्पन हजार चार सौ	
योग:				9,379,300.00
क्रमिक योग:				20,435,700.00
 (SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS) PCCF, DEV, JHARKHAND RANCHI				

क्रमांक	विपर कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601796480103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - वन सीमा का सुदीकरण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : CONSOLIDATION OF FOREST BOUNDARIES(0977) Central Scheme : NA	42660	RNCFOR01 NIRANJAN PRASAD DEO D.F.O KHUNTI	3,237,600.00
8	S 19 240601796480103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - वन सीमा का सुदीकरण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : CONSOLIDATION OF FOREST BOUNDARIES(0977) Central Scheme : NA	42662	LDGFOR001 VIKASH KUMAR UJJWAL DIV.FOREST OFFICER	4,856,400.00
9	S 19 240601796480103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - वन सीमा का सुदीकरण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : CONSOLIDATION OF FOREST BOUNDARIES(0977) Central Scheme : NA	42664	JSRFOR002 CHANDRA MAULI PRASAD SINHA DY.C.F.& F.D.PROJ.ELEPHANT JSR	1,469,900.00

योगः

9,563,900.00

क्रमिक योगः

रुपये दो करोड निन्नानवे लाख निन्नानवे हजार छ: सौ

29,999,600.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601796480323	42667	JSRFOR051	7,284,600.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S)	रुपये बहत्तर लाख चौरासी हजार छ: मौ
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		D.F.O.JAMSHEDPUR	
	48 - बन सीमा का सुदीर्घीकरण		PRM.JSR.	
	03 - प्रशामनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme : CONSOLIDATION OF FOREST BOUNDARIES(0977)			
	Central Scheme : NA			
11	S 19 240601796480323	42669	SGHFOR010	5,657,700.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SATYAM KUMAR (I.F.S.)	रुपये छप्पन लाख सत्तावन हजार मौ
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		DFO.CHAIBASA	
	48 - बन सीमा का सुदीर्घीकरण		FOREST DIV.	
	03 - प्रशामनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme : CONSOLIDATION OF FOREST BOUNDARIES(0977)			
	Central Scheme : NA			
12	S 19 240601796480323	42672	SGHFOR002	3,642,300.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SRI ABHISHEK BHUSHAN (IFS)	रुपये छत्तीस लाख बयालीस हजार तीन मौ
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		D.F.O.KOLHAN	
	48 - बन सीमा का सुदीर्घीकरण		FOREST DIV.CBSA	
	03 - प्रशामनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme : CONSOLIDATION OF FOREST BOUNDARIES(0977)			
	Central Scheme : NA			

योगः

16,584,600.00

क्रमिक योगः

रुपये चार करोड फैसठ लाख चौरासी हजार दो सौ

46,584,200.00



(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601796480323	42675	SGHFOR003 SRI.SHIV KUMAR PRASAD D.F.O.PORAHAT FOREST DIV.	1,928,000.00 रुपये उन्नीस लाख अठाइस हजार
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - वन सीमा का सुदीकरण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : CONSOLIDATION OF FOREST BOUNDARIES(0977) Central Scheme : NA			
14	S 19 240601796480323	42677	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	4,856,400.00 रुपये अडतालीस लाख छप्पन हजार सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - वन सीमा का सुदीकरण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : CONSOLIDATION OF FOREST BOUNDARIES(0977) Central Scheme : NA			
15	S 19 240601796480323	42680	GMLFOR001 SRIKANT D.F.O. GUMLA	7,284,600.00 रुपये बहत्तर लाख चौरासी हजार छ: सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - वन सीमा का सुदीकरण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : CONSOLIDATION OF FOREST BOUNDARIES(0977) Central Scheme : NA			

योग:

क्रमिक योग:

रुपये छ: करोड छ: लाख तीरपन हजार दो सौ

14,069,000.00

60,653,200.00


(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601796480323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - बन सीमा का मुद्रीटीकरण 03 - प्रशामनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : CONSOLIDATION OF FOREST BOUNDARIES(0977) Central Scheme : NA	42681	RNCFOR01 NIRANJAN PRASAD DEO D.F.O KHUNTI	4,856,400.00
17	S 19 240601796480323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - बन सीमा का मुद्रीटीकरण 03 - प्रशामनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : CONSOLIDATION OF FOREST BOUNDARIES(0977) Central Scheme : NA	42683	LDGFOR001 VIKASH KUMAR UJJWAL DIV.FOREST OFFICER	7,284,600.00
18	S 19 240601796480323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - बन सीमा का मुद्रीटीकरण 03 - प्रशामनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : CONSOLIDATION OF FOREST BOUNDARIES(0977) Central Scheme : NA	42684	JSRFOR002 CHANDRA MAULI PRASAD SINHA DY.C.F.& F.D.PROJ.ELEPHANT JSR	2,204,800.00
रुपये बाइस लाख चार हजार आठ सौ				
योग:				14,345,800.00
क्रमिक योग:	रुपये सात करोड उनचास लाख निनानवे हजार			74,999,000.00
		(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)		
		PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI		

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 240601796480382	42685	DRNFWL019	4,329,200.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		MITHILESH KUMAR	रुपये तीरयालीस लाख उन्तीस हजार
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		SINGH	दो सौ
	48 - वन सीमा का सुदीडीकरण		CF.WORKING PLAN	
	03 - प्रशासनिक व्यय		CIRCLE RANCHI	
	82 - सर्वेक्षण			
	State Scheme			
	State Scheme :	CONSOLIDATION OF FOREST BOUNDARIES(0977)		
	Central Scheme :	NA		
20	S 19 240601796480382	42686	JSRFOR134	6,985,700.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		RAM BHARAT (I.F.S)	रुपये उनहतर लाख पिचयासी हजार
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		C.F.WORK PLAN	सात सौ
	48 - वन सीमा का सुदीडीकरण		CIR.CHAIBASA JSR	
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	82 - सर्वेक्षण			
	State Scheme			
	State Scheme :	CONSOLIDATION OF FOREST BOUNDARIES(0977)		
	Central Scheme :	NA		

योग:

11,314,900.00

क्रमिक योग:

रुपये आठ करोड तीरसठ लाख तेरह हजार नौ सौ

86,313,900.00



(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI